पत्रांक :– 02/सू॰अ॰–14–02/2013–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई॰ सीता कान्त झा,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰),

सेवा में,

श्री वासुकीनाथ सिंह (आई॰डी॰–1945),
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो (झारखण्ड)।

निबंधित

रॉंची, दिनांक :–––––––––––––/

विषय : स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग : जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 एवं शुद्धि–पत्र संख्या–4485 दिनांक 29.08.12

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना एवं शुद्धि–पत्र की ओर आपका निजी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रसंगाधीन अधिसूचना द्वारा श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग की सेवा वापस लेते हुए प्राक्कलन पदाधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया गया है। परन्तु आपके द्वारा अबतक श्री कुमार, सहायक अभियंता को नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित नहीं किया जाना, उनसे पूर्व पदस्थापित पद का कार्य लिया जाना एवं वेतनादि का भुगतान किया जाना प्रथम दृष्टया विभागीय आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को प्रमाणित करता है। इसके लिए आपके विरूद्ध क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय ?

अतएव आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र निर्गत की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और विभाग एक पक्षीय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

विश्वासभाजन,

Sd/-

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– रॉंची, दिनांक :–

प्रतिलिपि : विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/ मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉंची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/-

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

ज्ञापांक :– 1135 रॉंची, दिनांक :– 21-2-13

प्रतिलिपि : वेब इंफारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को वेबसाईट पर Employee Notice अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/2/13

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र॰)

20/2/13

D:\PRAMOD 1\Under Sec\Draft\DRAFT 13\Pramod Kr. & Bashukinath 20-02-13.doc